उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-94/2020/260प्र0स0/92-2-20-31जॉच/2017

लखनऊ:: दिनांक 22 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-फैजाबाद में पूर्वान्चल विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 में स्वीकृत मवई पटरंगा मार्ग से सिपाहिया ग्राम के आगे झरना नाले पर 5X6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप न कराये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1357/92-2-18-31जांच/2017, दि0 01-06-2018 द्वारा श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी को मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 12-12-2019 को अवसर देते हुये जॉच अधिकारी / निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-जी-2392/ ग्रा0अ0वि0/कैम्प-निदेशक/पत्रर0सं0-02/19-20 दि0 13-12-2019 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री एस0पी0 राव से शासन के पत्र सं0-101/92-2-20-31जांच/2017 दि0 09-01-2020 द्वारा अभ्यावेदन मांगा गया जो अपचारी अधिकारी के दिनांक रहित पत्र के माध्यम से शासन में दिनांक 28-02-2020 को प्राप्त हुआ। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन आदि का विवरण निम्नवत है :-

आरोप सं0-1

पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अंतर्गत वर्ष 2002-03 में स्वीकृत मवई पटरंगा मार्ग से सिपाहिया ग्राम के आगे झरना नाले पर 5X6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया कार्य हेतु शासन के पत्र दिनांक 25-03-2003 द्वारा रू0 27.00 लाख की प्रदान की गयी। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 17.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि से पूर्व में कृत पाइल कार्य के ऊपर बिना सिल्ट सफाई किये पाइल कैप एवं पिलर का निर्माण कराया गया। पाइप कैप एवं पाइल्स के बीच लगभग 30 से 45 सेमी0 का गैप होने के कारण कालान्तर में सिल्ट के बह जाने के कारण कई पिलर टेढे हो गये। सहायक अभिंयताओं की संयुक्त जॉच में यह भी पाया गया कि पाइल्स कैप की मोटाई प्राविधानित 1.00 मी0 के स्थान पर मात्र 60 से 70 सेमी0 पाई गयी। कंक्रीट का कोई स्ट्रेन्थ टेस्ट नहीं कराया गया न ही इसका रख-रखाव किया गया। फलस्वरूप पाइल कैप एवं पिलर शक्ति में कमजोर पाया गया तथा इन्टीग्रिटी टेस्ट में निर्धारित भार हेतु सुरक्षित नही पाया गया। पूर्व में कृत पाइल कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना ही उक्तानुसार कराये गये गुणवत्ता विहीन एवं अधोमानक कार्य स्वीकार योग्य एवं सुरक्षित नही पाये जाने के कारण विशेषज्ञ जांच में भी इसके ऊपर निर्माण संभव नही पाया गया। फलस्वरूप व्यय हेतु सम्पूर्ण धनराशि रू0 12,24,316.00 की शासकीय क्षति के लिये शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अनुसार क्षति के 50 प्रतिशत हेतु संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ शेष 50 प्रतिशत का 20 प्रतिशत अर्थात 12,24,316 X20/100 = रू0 1,22,432.00 की शासकीय क्षति हेतु श्री एस0 पी0 राव को उत्तरदायी पाया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

शासनादेश दि0 25-03-2003 द्वारा कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि मु0 रू0 27.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में दो बार में कुल मु0 रू0 10.00 लाख की धनराशि विभाग को मार्च, 2004 में प्राप्त हुई। अवमुक्त की गयी रू0 10.00 लाख की धनराशि से स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 4X6 मी0 स्पान पुलिया निर्माण हेतु पाइल फाउण्डेशन का कार्य इनसे पूर्व तत्का0 सहायक अभियंता की देखरेख में सम्पादित कराया गया था, जिसमें परिलक्षित कमी के लिये वे उत्तरदायी नही है। लगभग 8 वर्ष उपरान्त शासनादेश सं0-3186/तेईस-14-2010-3जनरल/11 दि0 28-02-2011 से अवशेष रू0 17.00 लाख का आवंटन किया गया था। कार्य लघु सेतु श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण सामान्यत: एक सत्र/एक आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए। एक सत्र/एक आगामी वर्षा के पूर्व कार्य पूर्ण न होने के कारण संरचना का क्षरण स्वाभाविक है। धनाभाव के कारण संरचना का सुरक्षात्मक कार्य एवं सम्पूर्ण कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। द्वितीय किश्त की स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रखण्ड स्तर पर खण्डीय अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता, नियोजन एवं समुचित प्रबंधन का कार्य किया गया। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-75, 76, 77, 78 व 79 में निहित व्यवस्था का उल्लेख करते हुये श्री एस0पी0 राव द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उन पर निर्धारित दायित्व एवं वित्तीय सीमा के अंतर्गत अधिशासी अभियंता के निर्देशानुसार अवशेष कार्य को पूर्ण करने का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त पाइप कैप के निर्माण संबंधी आई0आर0सी0:78.2014 के प्रस्तर-709.5. 1, 2 , 3, 4 व 5 में निहित व्यवस्था का उल्लेख करते हुये श्री एस0पी0 राव द्वारा अवगत कराया गया है कि पाइप कैप के बीच में सिल्ट का होना काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि पाइल का ऊपरी 50 मि0मी0 भाग पाइल कैप में इम्बेडेड होता है तथा पाइल का सरिया **(Reinforcement)** भी पाइप कैप में मोडकर फंसाया जाता है। इसलिये यह संभव नहीं है कि पाइल के साथ पाइल कैप की ढलाई अखण्ड **(Monolithic)** रूप से न की गयी हो। पिलर के झुकने के संबंध में अवगत कराया गया कि वह पूर्व में पूर्वाधिकारी द्वारा कराये गये पाइल के कार्य में अपर्याप्त **(Insufficient)** गहराई एवं व्यास के होने के कारण पाइल के सिंक होने की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसकी पुष्टि के संबंध में आरोप पत्र के साथ संलग्न जॉच आख्या दि0 12.09.2016 में स्पष्ट उल्लेख है कि टेस्ट के लिए जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी की सफाई कराने के दौरान एक पाइल बाहर आई, जिसकी कुल लम्बाई/गहराई 2.80 मी0 प्राप्त हुई। दो पाइल की पाइल इन्ट्रीगेट टेस्ट **(Pile Intigrity)** टेस्ट रिपोर्ट में पाइल की गुणवत्ता एवं गहराई दोनो ही संतोषजनक नहीं पाई गई है। पाइल की गहराई 3 मी0 से 4 मी0 ही है, जिसके संबंध में स्थिति निम्नवत है :-

1. पाइल फाउण्डेशन का कार्य उनके पूर्व के कार्य पर तैनात अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा सम्पादित कराया गया।
2. प्रखण्ड में इनकी तैनाती अवधि में वर्ष 2011-12 में प्राप्त द्वितीय किश्त मु0 रू0 17.00 लाख में से पाइप कैप एवं पिलर के कार्य का मु0 रू0 12.20 लाख व्यय किया गया। समस्त कार्य धनाभाव में नहीं कराया गया। वर्षोपरान्त दो पिलर पाइप कैप के साथ अपने मूल स्थान से तिरछे हो गये। आरोप पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में विषय विशेषज्ञ (सेतु) की आख्या दिनांक 20.10.2016 के अवलोकन से स्वत: स्पष्ट है कि पाइल की प्रस्तावित लम्बाई 7.50 मी0 के विरूद्व मात्र 2 मी0 की पाइल पायी गयी एवं सरिया भी क्राकरीट में **(Embedded)** नहीं है। पाइल की गुणवत्ता में डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार नहीं कराये जाने की स्थिति बतायी गयी। पाइल फाउण्डेशन कार्य पूर्ण होने के संबंध में तत्का0 अवर अभियंता/सहा0 अभियंता के लिखित स्पष्टीकरण में उल्लेख है कि दो पिलर टेढे होने की स्थिति संभवत: पाइल की कम गहराई होने के कारण उत्पन्न हुई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. पाइल कार्य के ऊपर सिल्ट सफाई कराकर पाइल कैप एवं पिलर का निर्माण कराया गया था। पाइल के ऊपर पाइल कैप का निर्माण फाउण्डेशन का अभिन्न **(Integral Part) है।** अत: पाइल कैप के बीच में सिल्ट का होना काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। पाइल कैप के साथ अखण्ड **(Monolithic)** ढलाई का कार्य न किया जाना संभव नही है। चूंकि पाइल फाउण्डेशन का कार्य उनके स्तर से नहीं कराया गया है। पाइल फाउण्डेशन के कार्य का भुगतान का देयक भी उनके द्वारा पारित नहीं किया गया था। पाइल फाउण्डेशन के कमी के लिये उनकी प्रखण्ड में तैनाती अवधि में सी0सी0 क्यूब टेस्ट का परीक्षण कराया गया, जिसमें गुणवत्ता संतोषजनक पाये जाने के कारण तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा संबंधित ठेकेदार की अनुबंध में लगी सिक्योरिटी भी वापिस की गयी। इससे स्वत: स्पष्ट है कि उनके द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक रही है।

पूर्व में कृत पाइल कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना ही, गुणवत्ता विहीन एवं अधोमानक कार्य स्वीकार योग्य एवं सुरक्षित नही पाये जाने के कारण विशेषज्ञ जांच में भी इसके ऊपर निर्माण संभव नही पाया गया, के संबंध में अवगत कराया गया है कि उनके पूर्व तत्का0 सहायक अभियंता द्वारा कराये गये कार्य फाउण्डेशन कार्य का प्रखण्ड के अधिशासी अभियंता द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण के पश्चात अवशेष कार्य के पूर्ण करने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवशेष कार्य को गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित कराया गया। उनके द्वारा तकनीकी आंगणन में पाइल्स कैप की मोटाई प्राविधानित 100 सेमी0 के अनुसार मध्य के चार पाइल के ढलाई का कार्य स्वयं की देखरेख में सम्पादित कराया गया था, जिसमें कोई कमी नहीं पायी गयी थी। प्रखण्ड स्तर पर सम्प्रेक्षण लिपिक के सम्प्रेक्षण करने के बाद प्रखण्डीय लेखाधिकारी द्वारा देयक का विवीक्षित (**Vetted)** का कार्य वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रसतर 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 एवं 104 में दिये गये वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत दी गयी वित्तीय सलाह के क्रम में अधिशासी अभियता द्वारा पूर्ण संस्तुति के उपरांत देयक का भुगतान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त श्री राव द्वारा पुल और पुलिया के निर्माण कार्य के उत्तरदायित्व के संबंध में लोक निर्माण विभाग के परिपत्र दिनांक 26.06.1999 में निहित व्यवस्था का उल्लेख करते हुये कार्य की भौतिक चेकिंग का दायित्व अवर अभियंता का बताते हुये उन्हें आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>जॉच अधिकारीकी जॉच आख्या/विवेचना</u>

अपचारी अधिकारी के अधिकांश तथ्यों/बचाव उत्तर से सहमत होने के साथ ही जॉच अधिकारी द्वारा श्री एस0पी0 राव को पाइल्स कैप की मोटाई प्राविधानित 1.00 के स्थान पर 60 से 70 सेमी0 पर कार्य कराया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि श्री एस0पी0 राव, सहायक अभियंता द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

<u>निष्कर्ष</u>

श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद समप्रति प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्व आरोप संख्या-1 आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया है।

3-अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों का शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी, श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता द्वारा अपने विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 1,22,432.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रसीद सं0-399014 दिनांक 11-06-2020 द्वारा राजकोष में जमा कर दी गयी है। श्री राव पाइल कैप की मोटाई प्राविधानित 1.00 के स्थान पर 60 स 70 सेमी0 का निर्माण कराये जाने हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी है। अतएव एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद (अयोध्या) सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनंाक 01-06-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद-फैजाबाद में पूर्वान्चल विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 में स्वीकृत मवई पटरंगा मार्ग से सिपाहिया ग्राम के आगे झरना नाले पर 5X6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण कार्य में पाइल कैप की मोटाई प्राविधानित 1.00 के स्थान पर 60 से 70 सेमी0 का निर्माण कराये जाने की अनियमितता हेतु श्री एस0पी0 राव उत्तरदायी है। अत: उक्त अनियमितता हेतु श्री एस0 पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद (अयोध्या) सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई को **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-94/2020/260प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री एस0पी0 राव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद (अयोध्या) सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।